ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर0 एम0 वाद सं0–46/2018–19

आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
26.06.24	**आदेश** प्रस्तुत आर0 एम0 वाद सं0–46/2018–19 (पुरन महतो–बनाम– शालीग्राम राउत) आवेदक–पुरन महतो, पिता–स्व० झलकु महतो, साकिन–मंझियाना, अंचल–करौं, जिला–देवघर द्वारा मौजा–उपर बिलरिया, थाना नम्बर–567, जमाबंदी नं0–55, दाग न0–462 की जमीन से विपक्षी–शालीग्राम राउत, पिता–भकलु राउत, साकिन–मंझियाना, अंचल–करौं को उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 02. प्राप्त आवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत कर कारण–पृच्छा की मांग करते हुए अंचल अधिकारी, करौं से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, करौं के पत्रांक–502/रा0, दिनांक–05.10.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। साथ ही इस संबंध कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर से भी स्थलीय जाँच कराई गई, इनके पत्रांक–257/रा0, दिनांक–22.04.2024 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. अंचल अधिकारी, करौं एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–उपर बिलरिया, थाना नम्बर–567, जमाबंदी नं0–55, दाग न0–462, रकवा–07 डी0 किस्म–धानी सेम सरयु महतो व झलकु महतो, पेशरान महावीर महतो दी0 कहकर सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदक द्वारा अपने दावे के पक्ष में सर्वे खतियान की प्रति एवं बन्दोवस्त पदाधिकारी, दुमका के उच्छेदी बसगढ़ी परवाना प्रस्तुत गया। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है। विपक्षी द्वारा आवेदित भूमि पर मिट्टी खपड़ा का मकान बनाकर बसोवास कर रहे हैं। विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। 04. इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा किया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के विरूद्ध है। 05. अतः उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, करौं एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, मधुपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी–शालीग्राम राउत, पिता–भकलु राउत, साकिन–मंझियाना, अंचल–करौं को मौजा–उपर बिलरिया, थाना नम्बर–567, जमाबंदी नं0–55, दाग न0–462 की जमीन से भूमि से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, करौं को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 26/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर 26/06/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	पत्रांक 323 एवं 324 दिनांक 06.07.24

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.07.13 13:35:56 +05:30
Location: 192.168.29.15